कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः– प. 8(1)(2)निर्वा./2024/ 1443 **जयपुर, दिनांक :–** 19/2/24

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

समस्त रिटर्निंग ऑफिसर,
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान।

विषयः– Forthcoming Lok Sabha General Election, 2024 - Prevention of Defacement of Property and other Campaign Related Items – regarding.

प्रसंगः– भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक No. 3/7/2023/SDR दिनांक 12 अक्टूबर, 2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधानसभा आम चुनाव, 2023 के दौरान Preventive of Defacement of Property and other Campaigh Related Itesm संबंधी आयोग के समेकित विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किए गए थे जिन्हें आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2024 हेतु पुनः दोहराया जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने अपने प्रारंभिक पत्र दिनांक 12.10.2023 द्वारा निर्देश दिए है कि राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग । के क्लॉज (6) मे प्रावधान है कि कोई भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी अपने समर्थकों को ध्वज लगाने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि किसी भी कार्य हेतु किसी व्यक्ति विशेष के भूमि, भवन, चारदीवारी आदि का उनकी (व्यक्ति विशेष की) अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। फिर भी, यह देखा गया है कि चुनाव के समय राजनीतिक दल पोस्टर्स, दीवार लेखन आदि द्वारा और कभी–कभी भवन मालिकों की अनुमति के बिना सार्वजनिक एवं निजी भवनों को विरुपित करने में सम्मिलत होते हैं। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् सार्वजनिक भवनों से इन पोस्टर्स एवं दीवार लेखन को हटाने का खर्च सरकारी खजाने से और निजी भवनों से हटाने का खर्च व्यक्तिगत मालिकों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, बड़े पैमाने पर आम जनता को बिना किसी गलती के इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।

2. कुछ राज्यों में सम्पत्ति विरुपण के संबंध में अपने स्थानीय कानून हैं, जिनके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को इस प्रकार के विरुपण रोकने और विरुपणकर्ताओं को दण्डित करने के अधिकार प्राप्त हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ऐसे प्रावधान लागू किये जाने की अनुशंषा की है।

3. आयोग ने सम्पत्ति विरुपण रोकथाम संबंधी स्थानीय कानूनों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा चलाने व अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किये हुए हैं। निर्देशों मे अन्य बातों के अलावा यह भी प्रावधान हैं कि संबंधित राजनीतिक दल/ संस्था/ निकाय/ अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति जिसके द्वारा मालिक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन पर कोई नारा, प्रतीक या पोस्टर लिखवाया गया है या चिपकाया गया है, को ऐसी विरुपित दीवार अथवा भवन को उनके मूल स्वरूप में वापस स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के खर्चे पर सफेदी, पुताई या रंग करवाया जाना चाहिए।

4. विभिन्न राज्यों में अपने राज्य कानून होने के बावजूद संपूर्ण देश में एकरूपता नहीं थी, अतः संपत्ति विरुपण के संबंध में राजनीतिक दलों, प्रवर्तन प्राधिकारियों और निर्वाचन के दौरान नियुक्त निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन हेतु व्यापक दिशा–निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता अनुभव हुई। तदनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अतिलंघित करते हुए दिनांक 7 अक्टूबर, 2008 को नवीन दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिनके अनुक्रम में बाद में समय–समय पर अन्य अतिरिक्त निर्देश भी जारी किये गये।

5. **अब, सभी वर्तमान विद्यमान प्रावधानो को अतिलंघित करते हुए,** निर्वाचन प्राधिकारियों के सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्नांकित समेकित निर्देश जारी किये जा रहे हैं –

a. सार्वजनिक स्थानों का विरुपण

i. किसी भी राजकीय परिसर (सिविल संरचनाओं सहित) पर किसी भी प्रकार का दीवार लेखन करना या पोस्टर्स/ कागज चिपकाना या किसी भी रूप में विरुपित करना या कटआउट, बैनर, झंडे आदि लगाना अनुमत नही किया जायेगा। राजकीय परिसर मे राजकीय कार्यालय और वह परिसर जहाँ राजकीय भवन स्थित है, सम्मिलित है।

ii. यदि किसी स्थानीय कानून में इस प्रकार सार्वजनिक स्थानों (राजकीय परिसरों के विरुद्ध) पर भुगतान के साथ अथवा अन्यथा नारे लिखना, पोस्टर्स प्रदर्शित करना या कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि लटकाना विशिष्ट रूप से अनुमत हो, तो तत्संबंधी कानून के संबंधित प्रावधान की एवं इस संबंध में कोई न्यायालय आदेश हों तो उनका कठोरता से अनुसरण किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे किसी स्थान पर किसी दल (दलों) विशेष अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) विशेष का प्रभुत्व/ एकाधिकार नहीं हो। इस संबंध में सभी दलों एवं अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

iii. यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतु कोई विशिष्ट स्थान (Earmarked Place) यथा – बिल बोर्ड, होर्डिंग आदि निर्धारित हो और आगे व्यक्तिगत ग्राहकों आवंटित करने हेतु ऐसा स्थान पहले से ही किसी एजेंसी को किराये पर दिया गया हो, तो जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित नगर निकाय (यदि कोई हो) के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन अवधि मे निर्वाचन संबंधी विज्ञापनों हेतु ऐसे विज्ञापन स्थल के उपयोग का अवसर सभी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को समान रूप से प्राप्त हो।

b. PSU भवन और परिसर का विरुपण

i. निर्वाचन अवधि में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रदर्शन के उद्देश्य से PSU (Public Sector Undertakings) के भवन और परिसर राजकीय परिसर की भांति किये माने जायेंगे। आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने की अवधि के दौरान PSU के स्वामित्व वाले किसी भी भवन/ सिविल स्ट्रक्चर या अन्य किसी भी स्ट्रक्चर पर या उनके परिसर में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

ii. यदि PSUs की उपविधियों (by-laws) या उन विज्ञापन एजेंसीज (जिन्हें उनके द्वारा विज्ञापन के लिए किराये पर स्थान उपलब्ध करवाया जाता है) के साथ उनके समझौता पत्रों (Agreements) में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रदर्शन निषिद्ध किये जाने संबंधी कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हों तो, PSUs को वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए लीज पर विज्ञापन एजेंसीज को स्थान उपलब्ध करवाते समय वाणिज्यिक एजेंसीज/ कंपनीज के साथ उनके वाणिज्यिक समझौते (Commercial Agreement) में एक पैरा जोड़ने हेतु निर्देशित किया जा सकता है कि *"वाणिज्यिक विज्ञापनो हेतु लीज पर उपलब्ध करवाये गये स्थानो*

यथा– हवाई अड्डों, रेल्वे स्टेशनों, अन्तर्राज्यीय/ स्थानीय बस अड्डों, राजकीय परिवहनों, डाकघरों, राजकीय चिकित्सालयों/ डिस्पेन्सरीज आदि (मुख्य हाइवे, मुख्य रास्ते आदि को छोड़कर) पर आदर्श आचार संहिता की अवधि में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे।"

c. राजकीय हॉल/ ऑडिटोरियम या अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति का विरुपण

i. यदि स्थानीय कानूनों/ दिशा निर्देशों के अधीन सरकार/ स्थानीय निकाय/ स्थानीय प्राधिकरण/PSUs/ सहकारिता के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले हॉल/ ऑडिटोरियम/ मीटिंग स्थलों पर राजनीतिक बैठकें निषिद्ध नहीं हैं, तो ऐसा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थान का आवंटन न्यायसंगत आधारों पर हो तथा बैठक के दौरान प्रदर्शित बैनर्स, बंटिंग्स, ध्वज, कट आउट आदि से बैठक के बाद किसी भी प्रकार का विरुपण अनुमत नहीं किया जायेगा।

ii. शिक्षण संस्थाओं और उनके मैदानों (चाहें वे राजकीय अनुदानित, निजी या राजकीय हों) का उपयोग राजनीतिक अभियानों और रैलियों के लिए नहीं किया जायेगा।

d. निजी स्थानों का विरुपण

i. जिन राज्यों में इस विषय पर स्थानीय कानून नहीं हैं, उन राज्यों में निजी परिसरों पर उनके काबिज (Occupant) की स्पष्ट अनुमति के साथ अस्थाई और आसानी से हट सकने वाली विज्ञापन सामग्रियाँ यथा– झंडे, बैनर आदि लगाये जा सकते हैं। ये झंडे एवं बैनर अन्य लोगों के लिए कोई परेशानी (Nuisance) उत्पन्न नहीं करने चाहिए। इस संबंध में प्राप्त लिखित अनुमति झंडे एवं बैनर लगाने के 3 दिवस के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। यह अनुमति बिना किसी दबाब या धमकी के स्वतंत्रापूर्वक दी जानी चाहिए।

ii. जहाँ स्थानीय कानून मालिक की अनुमति से निजी परिसरों पर दीवार लेखन, पोस्टर चिपकाने, होर्डिंग बैनर्स आदि लगाने हेतु स्पष्ट रूप से अनुमत करते हैं, तो संबंधित उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल मालिक से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे और इसकी प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण अंकित करते हुए एक Statement रिटर्निंग अधिकारी या इस हेतु उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को 3 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। ऐसे प्रकरणों और उक्त sub-para (a) में वर्णित प्रकरणों के संबंध में सम्पत्ति मालिक का नाम और पता (जिससे अनुमति प्राप्त की गई है) तथा इस हेतु व्यय राशि या संभावित व्यय राशि का विवरण उक्त Statement में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

iii. जिन राज्यों में राज्य/स्थानीय सम्पत्ति विरुपण कानून विशिष्ट रूप से झंडे, बैनर, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन निषिद्ध करते हैं, तो ऐसे कानूनों के प्रावधानों की सख्ती से पालना की जायेगी और निजी सम्पत्ति या सार्वजनिक प्रदर्शित सम्पत्ति पर ऐसी सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी।

iv. यदि दीवार लेखन, पोस्टर्स चिपकाने जैसे स्थाई/ अर्द्धस्थाई विरुपण, जो आसानी से हटाये जाने योग्य नहीं हैं, को स्थानीय कानून निषिद्ध करते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में (संपत्ति मालिक की सहमति प्राप्त कर लिये जाने के बहाने से भी नहीं) इन्हें नहीं किया जायेगा।

v. यदि राज्य/ स्थानीय कानून विशिष्ट रूप से निजी भवनों पर झंडे, होर्डिंग, बैनर आदि का प्रदर्शन निषिद्ध नहीं करते हैं, तो सम्पत्ति मालिक (Owner)/ काबिज (Occupier) की स्वयं की इच्छा से ऐसी सामग्री (झंडे, बैनर, होर्डिंग) निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित किये जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, बशर्ते किसी न्यायालय आदेश से बाधित ना

हो। किसी अन्य की सम्पत्ति पर उक्त सामग्री प्रदर्शित किये जाने के लिए संबंधित मालिक/ काबिज की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

e. वाहनों का विरुपण

i. निजी वाहनों पर : मोटर व्हीकल अधिनियम व नियमों तथा प्रभावी न्यायालय आदेशों (यदि कोई हो) के अध्यधीन वाहन स्वामी अपनी स्वयं की इच्छा से अपने वाहन पर झंडे व स्टीकर इस तरह लगा सकेगा कि वे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए कोई असुविधा उत्पन्न नहीं करें या ध्यान विचलित नहीं करें। यदि झंडे या स्टीकर के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी उम्मीदवार विशेष के पक्ष में वोट मांगना है, तो IPC की धारा 171 H (निर्वाचन के संबंध में अवैध भुगतान) के प्रावधानों का ध्यान रखा जाये।

ii. वाणिज्यिक वाहनों पर : जब तक जिला निर्वाचन अधिकारी/ रिटर्निंग अधिकारी की सक्षम अनुमति से वाणिज्यिक वाहन का चुनाव अभियान हेतु उपयोग नहीं लिया जाये, तब तक वाणिज्यिक वाहनों पर किसी झंडे, स्टीकर आदि का प्रदर्शन अनुमत नहीं किया जायेगा। प्राप्त की गई मूल सक्षम अनुमति वाहन की विंड स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जायेगी।

iii. लाउडस्पीकर लगाने सहित वाहनों का स्वरूप परिवर्तन (External Modification) मोटर व्हीकल अधिनियम, नियम एवं अन्य स्थानीय कानूनों के अध्यधीन रहेगा। स्वरूप परिवर्तित वाहन एवं विशेष अभियान वाले वाहन (यथा वीडियो रथ आदि) केवल मोटर व्हीकल अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की वांछित अनुमति के उपरान्त ही उपयोग किये जा सकते हैं।

iv. राज्य परिवहन निगमों एवं नगर निकायों की बसों पर : चूंकि ऐसे राजकीय वाहनों/ बसों पर विज्ञापन के लिए मात्रात्मक हिसाब से अथवा रूट के हिसाब से समान स्थान (equitable sharing) उपलब्ध करवाया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, अतः आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने की अवधि के दौरान राज्य परिवहन निगमों की या नगर निकायों की या अन्य राजकीय बसों या वाहनों का राजनीतिक विज्ञापनों हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा।

f. राजनीतिक दलों/ उम्मीदवारों/ निजी व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन विज्ञापन

i. यदि किसी राजनीतिक दल/ संस्था/ उम्मीदवार/ व्यक्ति द्वारा स्थानीय कानून या इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी सम्पत्ति का विरुपण किया जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे दोषी को विरुपण हटाने के लिए नोटिस जारी करेगा। यदि राजनीतिक दल/ संस्था/ उम्मीदवार/ व्यक्ति द्वारा उचित प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो जिला प्रशासन विरुपण को हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा और इसमें हुए खर्च की वसूली उस विरुपण के लिए उत्तरदायी राजनीतिक दल/ संस्था/ उम्मीदवार/ व्यक्ति से की जायेगी। यह खर्च राशि संबंधित उम्मीदवार के चुनाव खर्च में भी जोड़ी जायेगी और संबंधित कानूनों (संपत्ति विरुपण से संबंधित कानून अथवा दूसरे की संपत्ति को इरादतन नुकसान पहुंचाने संबंधी सामान्य कानून) के अध्यधीन दोषी के विरुद्ध मुकदमा चलाने की कार्यवाही भी प्रारंभ की जायेगी।

ii. किसी स्थानीय कानून अथवा किसी न्यायालय आदेश (यदि कोई हो) द्वारा प्रभावी निषेधाज्ञा के अध्यधीन कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके एजेंट्स, कार्यकर्ता एवं समर्थक किसी भी दल, संगठन या व्यक्ति के दबाव के बिना अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वयं की सम्पत्ति पर बैनर, बंटिंग, झंडे, कट आउट लगा सकते हैं, बशर्ते इनसे किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो।

iii. किसी भी भड़काऊ अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बिगड़ने की संभावना वाली किसी भी वस्तु को प्रदर्शित किया जाना अनुमत नहीं होगा।

iv. यदि इन बैनर, झंडों आदि के माध्यम से किसी उम्मीदवार विशेष के पक्ष में वोट मांगा जाये, तो आईपीसी की धारा 171 H के प्रावधानों का अनुसरण किया जाये। इस प्रावधान के अनुसार किसी उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किये बिना यदि कोई व्यक्ति उस उम्मीदवार के प्रचार की दृष्टि से किसी सार्वजनिक सभा, विज्ञापन, प्रकाशन, परिपत्र या अन्य किसी भी प्रकार का खर्च वहन करता है, तो उसे 500 रु. तक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। परन्तु, यदि उम्मीदवार द्वारा अधिकृत किये बिना अधिकतम 10 रु. तक का खर्च किया गया है और खर्च किये जाने से 10 दिवस के भीतर उम्मीदवार से लिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, तो ऐसा खर्च उम्मीदवार द्वारा अधिकृत किया हुआ ही माना जायेगा।

v. इस प्रकार उम्मीदवार के विशेष अभियानों में किया गया खर्च संबंधित उम्मीदवार द्वारा किये गये चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। किसी उम्मीदवार का नाम लिये बिना राजनीतिक दलों के अभियानों में हुआ खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी या चुनाव पर्यवेक्षक या निर्वाचन संबंधी अन्य अधिकारी की सुविधा हेतु उम्मीदवार संबंधित अधिकारी से सक्षम अनुमति प्राप्त किये जाने के 3 दिवस के भीतर गाँव/ स्थान/ कस्बावार सूचना रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

vi. पोस्टर आदि चिपकाकर संपत्ति विरुपण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 A के प्रावधानों के अनुसार ऐसा कोई भी निर्वाचन पम्पलैट या पोस्टर नहीं छपवाया जायेगा, जिस पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता अंकित ना हो। आयोग द्वारा पम्पलैट्स, पोस्टर्स आदि की छपाई के प्रतिबंधों के संबंध में पृथक् से निर्देश जारी किये हुए हैं। यह विशेष उल्लेखनीय है कि उक्त कानूनी प्रावधानों अथवा आयोग के निर्देशों की पालना हेतु उत्तरदायी अधिकारी अपने कर्तव्यपालन में विफल होता है, तो वह दण्डात्मक कार्यवाही के अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी भागीदार होगा।

g. अनधिकृत विरुपण को हटाने की समयसीमा

अनाधिकृत निर्वाचन सामग्री को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नानुसार समयसीमा निर्धारित की गई है –

i. राजकीय सम्पत्ति का विरुपण : इस प्रयोजन के लिए राजकीय परिसर से तात्पर्य कोई भी राजकीय कार्यालय और वह परिसर होगा, जिसमें कार्यालय भवन, परिसर और अन्य प्रतिष्ठान स्थित हैं। राजकीय सम्पत्ति पर सभी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर्स, पम्पलैट्स, कट आउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि या अन्य किसी भी प्रकार से किये गये विरुपण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटाये जायेंगे।

ii. सार्वजनिक सम्पत्ति का विरुपण और सार्वजनिक स्थल का दुरुपयोग : सार्वजनिक सम्पत्तियों पर और सार्वजनिक स्थानों (यथा– रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डे, रेल्वे पुल, रोडवेज, सरकारी बसें, बिजली या टेलीफोन के खम्भों, स्थानीय निकाय के भवनों आदि) पर दीवार लेखन, पोस्टर्स, पम्पलैट्स, कटआउट, होर्डिंग, झंडे, बैनर आदि या किसी भी अन्य रूप में किया गया विरुपण और अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से 48 घंटे के भीतर हटाये जायेंगे।

iii. निजी सम्पत्तियों का विरुपण - किसी स्थानीय कानून अथवा न्यायालय आदेश के अध्यधीन, किसी निजी सम्पत्ति से सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से 72 घंटे के भीतर हटाये जायेंगे।

iv. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद, स्थानीय कानूनों एवं न्यायालय आदेशों के अध्यधीन, किसी भी राजकीय, सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति के किसी विरुपण पर 'Guidelines of redressal of complaints received at C-Vigil' में बताये गये स्टैण्डर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। C-Vigil पर प्राप्त प्रकरणों के अलावा संपत्ति विरुपण के संबंध में प्राप्त अन्य प्रकरणों का भी शिकायत प्राप्त होते ही यथाशीघ्र यथोचित निस्तारण किया जायेगा।

h. इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पति का प्रचार हेतु उपयोग के संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते है :-

i. स्थानीय नगर पालिका संस्था द्वारा चिन्हित स्थलों पर होर्डिंग्स आदि विज्ञापन लगाये जाते हैं। ऐसे चिन्हित विज्ञापन स्थल प्रायः नगर पालिका संस्थाओं द्वारा किराये पर किसी निजी कम्पनी/संस्था को दे दिये जाते है। इस संदर्भ में राज्य के शहरी क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम से संबंधित कानूनी प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (दिनांक 02.02.2018 की अधिसूचना से संशोधित) के अध्याय 12 क में बताये गये हैं। विज्ञापन स्थलों के चिन्हिकरण एवं इनके उपयोग आदि के संबंध में कई नगरीय निकायों द्वारा उप-विधियॉ (Bye-Laws) भी बनायी हुयी हैं।

ii. पूर्व में राज्य के शहरी क्षेत्रों में राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2009 दिनांक 17.1.06 से लागू किया गया था जिसे राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 के द्वारा विलोपित करते हुए इसके प्रावधानों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के नये अध्याय 12-क के रूप में जोड़ा गया है जिसकी अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.02.2018 को प्रकाशित हुई है। सुलभ संदर्भ के लिये इसकी प्रति संलग्न है।

iii. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (यथा संशोधित) की धारा 297-G के अंतर्गत उक्त अध्याय 12-क के प्रावधानों को अन्य प्रचलित अधिनियमों पर अध्यारोही (override) बनाया गया है। संशोधित नगरपालिका अधिनियम की धारा 297-H(a) के तहत "विरूपण" (defacement) शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार है:

"Defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging disfiguring spoiling or injuring in any way whatsoever and the word "deface" shall be construed accordingly"

विरूपण के लिए धारा 297-ए में निम्न प्रकार के दण्ड की व्यवस्था की गयी है :-

"**Whoever defaces any property in public view** by defacing or spitting or urinating or pasting pamphlets, posters etc. or writing or marking with ink, chalk, paint or any other material or method except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property, shall be punishable, in case of first offence, with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees or with both, and in case of each subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both."

अतः लोक दृश्य (Public View) में स्थित कोई भी सम्पति का विरूपण इस धारा के अधीन दण्डनीय घोषित है, जिसमें सार्वजनिक अथवा निजी सम्पतियों में कोई विभेद नहीं किया गया है।

iv. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत नगर पालिका संस्थाओं के द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शन किये जाने के संबंध में राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद राजपत्र में प्रकाशित करते हुए उप विधियाँ (bye-laws) बनायी जा सकती है तथा राज्य सरकार भी नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 (4) के तहत् नगरीय निकायों के लिए Bye Laws निमित्त करने हेतु सक्षम है। इन उप विधियों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक डिस्पले, यूनीपोल पर विज्ञापन, फुट ओवर ब्रिज विज्ञापन, गेन्ट्री विज्ञापन आदि प्रकार के विज्ञापन एक विहित प्रक्रिया के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने की अनुमति देने का प्रावधान किया हुआ है।

v इस प्रकार नगरपालिका अधिनियम की धारा 297-H(a) के अन्तर्गत परिभाषित "विरूपण" के अनुसार जिन-जिन कृत्यों को सम्पत्ति को विरूपित करना माना गया है उनमें निम्न कृत्य शामिल नहीं है :-

(i) नगरपालिका संस्था द्वारा विज्ञापन उपविधियों के तहत बनाये गये विज्ञापन पट्ट, यूनी पोल्स आदि क्योंकि इन्हें जिस प्रयोजनार्थ बनाया गया है उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना इनके स्वरूप या सौन्दर्य का ह्रास करना नहीं माना जा सकता।

(ii) नगरपालिका संस्था द्वारा निर्धारित स्थानों पर विज्ञापन उपविधियों के तहत स्वीकृत लाईसेन्सधारी द्वारा या उसकी स्वीकृति से लगाये गये पोस्टर, बैनर आदि।

vi. नगरपालिका अधिनियम की धारा 297-H के खंड (b) के अनुसार सम्पत्ति को परिभाषित किया गया है, जिसमें निजी सम्पत्ति भी शामिल है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 340 (यछ) में नगरीय निकायों के बिलों एवं विज्ञापनों के स्थापन और साइन पोस्टों की स्थिति, आकार, आकृति एवं स्टाईल के उचित विनियमन के लिए उप-विधि निर्मित किए जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है। अतः नगरीय निकाय जहां ऐसी उप विधियां निर्मित एवं प्रभावी है, वहां उसके प्रावधानों के अनुरूप ही निजी सम्पतियों पर राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते है। जहां ऐसी उपविधियां प्रभावी नहीं है, वहां राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी सक्षम होंगे।

vii. अतः चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चिन्हित विज्ञापन स्थलों को उपयोग करने का समान अवसर उपलब्ध कराने और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विपरीत विज्ञापन सामग्री के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के प्रयोजन से निम्नांकित कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जाते है :-

i. चिन्हित विज्ञापन स्थलों की सूची एवं उनमें प्रत्येक के लिए अनुबंधित फर्म द्वारा निर्धारित की गई दरों की सूची नगरपालिका संस्था द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जावेगी तथा इस सूची के पश्चात् अब कोई अन्य विज्ञापन स्थल अनुबंधित फर्म अथवा नगरपालिका संस्था द्वारा चिन्हित नहीं किया जाएगा और न हीं दी गई दरों में कोई परिवर्तन किया जाएगा।

ii. **नामांकन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही** और **चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति** स्पष्ट होते ही अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि से पूर्व यदि कोई राजनीतिक दल या संस्था/संगठन चुनाव संबंधी विज्ञापनों के लिए चिन्हित किसी विज्ञापन स्थल पर अपना विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहे तो उसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर **अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि** तक के लिए ही दी जायेगी।

iii. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने के पश्चात् सांयकाल में 5.00 बजे के पश्चात् किसी समय यथाशीघ्र चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक

ध

बैठक जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बुलाई जायेगी। उक्त बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में उक्त चिन्हित विज्ञापन स्थलों की सूची की प्रति सभी अभ्यर्थियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए उनसे अपेक्षा करेंगे कि अभ्यर्थी या उनका राजनैतिक दल कौन-कौन से विज्ञापन स्थलों का उपयोग करना चाहते है। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत जानकारी दी जायेगी कि किस प्रकार की विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित करना निषिद्ध है।

iv. उक्त खंड (iii) के अनुसार विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए जायेंगे और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्डों के क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जायेंगे। विज्ञापन स्थल का किराया अनुबंधित फर्म द्वारा पूर्व में अवगत कराई गई दरों के अनुसार ही देय होगा और यदि किन्हीं विज्ञापन स्थलों का किराया नगर पालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उन विज्ञापन स्थलों का किराया भी पूर्व निर्धारित दर के अनुसार ही देय होगा।

v. उक्त खंड (iv) के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जिले में विज्ञापन स्थलों के आवंटन की अनुशषा की जायेगी। अन्तिम निर्णय संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और जिसके अनुरूप ही नगर पालिका संस्था द्वारा विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जायेगी।

vi. अपने क्षेत्रों में विज्ञापन स्थल आवंटित करने बाबत् राजनैतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों की बैठकें भी उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्डों के क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

vii. विज्ञापन स्थलों की अनुमति उपखण्ड मुख्यालयों पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा दी जायेगी। इस समिति में सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं संबंधित नगरपालिका संस्था का आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी सदस्य होंगे।

viii. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति का आशय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित अधिकारियों की समिति से है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत जिले के 2 या 3 वरिष्ठ अधिकारी होंगे जिनका मनोनयन जिला निर्वाचन अधिकारी अपने विवेक के आधार पर करेंगे।

ix. विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की उक्त आधार पर औपचारिक अनुमति संबंधित नगर पालिका संस्था के द्वारा ही दी जानी है।

x. यदि चिन्हित विज्ञापन स्थलों की संख्या अधिक है, और प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या कम है तो आवेदक द्वारा चाहा गया विज्ञापन स्थल आवंटित किया जायेगा। यदि किसी विशेष विज्ञापन स्थल के लिये एक से अधिक आवेदन पत्र है तो लॉटरी के जरिये आवंटन किया जायेगा।

xi. यदि विज्ञापन स्थलों की संख्या से अधिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटन करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों के आधार पर आनुपातिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटित किये जायेंगे।

xii. उपरोक्त प्रकार से किये गये आवंटन के पश्चात् यदि कोई विज्ञापन स्थल शेष बचता है तो First Come First Served सिद्धान्त के आधार पर राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या संस्था या व्यक्ति को समिति की अनुशंषा के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

xiii. उपरोक्त सभी आवंटनों में यह शर्त भी होगी कि विज्ञापनों में प्रदर्शित या पम्पलेट पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के अन्तर्गत अपेक्षित मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा पता आवश्यक रूप से मुद्रित होगा अन्यथा उसे हटा दिया जायेगा। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति या संगठन द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स के Text/ सामग्री को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है तो वह इसकी फोटो लेकर निर्वाचन विभाग को तत्काल रैफर करेगा ताकि ऐसे होर्डिंग्स को लगाये रखना है या नहीं इस संबंध में आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

xiv. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने से पूर्व के चरण में राजनैतिक दलों द्वारा उक्त खण्ड (ii) के अनुसार अपने दल के चुनाव प्रचार हेतु विज्ञापन स्थल चाहे जाने पर इनके आवंटन के लिए उक्त खंड (iii) से (ix) में बतायी गयी प्रक्रिया अपनाई जावें और तदनुसार विभिन्न राजनैतिक दलों को जिले में उपलब्ध पूर्व चिन्हित यूनीपोल, होर्डिंग्स, ओवर हैड गैन्ट्री आदि की साइट्स पूर्व निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु आवंटित की जावेगी। इस हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक तुरन्त आयोजित कर उनसे आवेदन प्राप्त कर लिये जावें।

xv. चिन्हित विज्ञापन स्थलों की सूची एवं उनमें प्रत्येक के लिए अनुबंधित फर्म द्वारा निर्धारित की गई दरों की सूची नगरपालिका संस्था द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जावेगी।

xvi. विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए जायेंगे और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्डों के क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जायेंगे।

viii. कोई भी राजनैतिक विज्ञापन जो चुनाव प्रचार के दौरान यानि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात् किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में या विपक्ष में प्रदर्शित किया जाता है उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के अन्तर्गत निर्वाचन , पम्पलेट आदि की श्रेणी में माना जायेगा।

i. निजी सम्पति पर विज्ञापनों का प्रदर्शन–

i. जैसा कि इस परिपत्र के पैरा h. (iii) में स्पष्ठ किया जा चुका है, नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 297 ए के तहत् लोक दृश्यमान में स्थित किसी भी सम्पति पर विरूपण दण्डनीय है। संबंधित नगरीय निकाय के प्रभावी उप–विधि के तहत् निजी सम्पति पर, सम्पति के मालिक की पूर्वानुमति से बैनर, झण्डे विज्ञापन आदि लगाए जा सकते है। मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति के बाद लगाये जाने वाले बैनर या झंडें के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। जैसा कि आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 5 में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया हुआ है।

ii. जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सबंध है, इस संबंध में राज्य में कोई कानून बनाया हुआ नहीं है लेकिन आयोग के निर्देशों के अनुसार निजी सम्पति के मालिकों या अधिभोगियों की लिखित अनुमति से ऐसी सामग्री जो आसानी से हटाई जा सकती हो, यथा झडे और बैनर, लगाये जा सकते हैं। आयोग के परिपत्र दिनांक 12 10.2023 के पैरा (iv) के अनुसार ऐसी लिखित सहमति की प्रति के साथ ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र मे रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

j. अन्य बिन्दु –

i. आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 26.09.2014 के द्वारा निर्देश दिये है कि राज्य पथ परिवहन निगम की बसों तथा अन्य राजकीय वाहनों को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान, राजनैतिक विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

ii. रैलियों, जुलूसों, सभाओं के दौरान झंडों, बैनरों, कटआउट्स स्थानीय विधि और प्रतिबंधात्मक आदेशों के अध्यधीन लगाये जा सकते हैं। जुलूसों में राजनैतिक दलों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली टोपी, मास्क, स्कार्फ आदि का उपयोग किये जाने की अनुमति है लेकिन राजनैतिक दलों या अभ्यर्थी द्वारा साडी, कमीज आदि परिधान वितरित नहीं किये जा सकते हैं।

iii. सरकारी/स्थानीय निकाय/उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं के मीटिंग स्थलों/ ऑडिटोरियम/हॉल्स आदि का उपयोग राजनैतिक सभाओं के लिए किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा उपयोग किया जाना किसी विधि या पूर्व में जारी दिशा निर्देशों से प्रतिबंधित नहीं हो। इनका उपयोग सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा समानता के आधार पर किया जायेगा और किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा इन पर एकाधिकार नहीं किया जा सकेगा। इन स्थलों पर सभाओं के दौरान बैनर फलैग्स, कटआउट्स आदि आसानी से हटाई जाने वाली सामग्री इस्तेमाल की जा सकती है, जिन्हें मीटिंग समाप्त होने के तुरन्त बाद हटा लिया जायेगा। इन स्थलों पर स्थायी या अर्द्धस्थायी श्रेणी की प्रचार सामग्री लगाया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

iv. स्कूलों/शैक्षणिक संस्थाओं के मैदानों का चुनाव प्रचार के लिए मीटिंगों में उपयोग केवल निम्नांकित शर्तो पर ही किया जा सकता है:-

1) किसी स्कूल या कॉलेज के शैक्षणिक सत्र पर किसी भी स्थिति में विपरीत प्रभाव नहीं पड़े,
2) स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को कोई आपत्ति नहीं हो तथा उपखंड अधिकारी से स्कूल/कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए अनुमति प्राप्त कर ली हो,
3) "First-come-First Served basis से यह अनुमति दी जायेगी और किसी राजनैतिक दल को इन मैदानों पर एकाधिकार की अनुमति नहीं होगी,
4) स्कूल/कॉलेज मैदान का राजनैतिक मीटिंग के लिए आवंटन के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लधंन पर संबंधित उपखंड अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे, और
5) राजनैतिक दल और अभ्यर्थी तथा प्रचारक भी उपरोक्त मापदंडों का पालना करेंगे और इनका उल्लंघन किसी स्थिति में भी नहीं करेंगे।
6) इन मैदानों के प्रचार योजनार्थ उपयोग के उपरान्त बिना किसी क्षति के और यदि कोई क्षति हुई है तो इसके समुचित मुआवजे के साथ यदि कोई हो इन्हें संबंधित संस्था को सुपुर्द किया जायेगा। ऐसे किसी मुआवजे के लिए संबंधित राजनैतिक दल उत्तरदायी होगा।

v. यदि कोई राजनैतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी या व्यक्ति विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा आयोग के उपरोक्त निर्देशों के विपरीत सम्पति का विरूपण करते हुए चुनाव प्रचार सामग्री का उपयोग करता है तो रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अतिचारी को उस प्रचार सामग्री को तुरन्त हटाने हेतु नोटिस जारी करेगा और यदि उत्तरदायी राजनैतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी या व्यक्ति इसकी पालना तुरन्त नहीं करता है तो जिला प्रशासन उस प्रचार सामग्री को हटाने की कार्यवाही करेगा तथा इसका खर्चा संबंधित उत्तरदायी राजनैतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी या व्यक्ति से वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह खर्चा भी संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा। साथ ही विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे अतिचारी के विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम (संशोधित) के अध्याय 12 क के प्रावधानों तथा सार्वजनिक सम्पति या अन्य की सम्पति को जान बूझकर क्षति पहुंचाने से रोकथाम से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

अतः भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रासंगिक निर्देश दिनांक 12.10.2023 की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2024 के दौरान उक्त निर्देश सभी रिटर्निंग अधिकारियों, निर्वाचन संबंधी समस्त प्राधिकारियों, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों की राज्य यूनिट्स के साथ--साथ राज्य के सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ध्यान में लाये जायेंगे। साथ ही, 'पैरा 5(ii) - PSU भवन और परिसर का विरुपण' की पालना हेतु संबंधित PSUs के भी ध्यान में भी लाये जाये।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।
12/2/2024

क्रमांकः प.8(1)(2)निर्वा/2024/ 1443 जयपुर, दिनांकः 19/2/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल।
2. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राज्जीय दल, राजस्थान। प्लॉट नं. 26–27, आउट ऑफ खसरा, 170/151 तेजा कॉलोनी निकट शीतला माता मन्दिर, मानासर जिला–नागौर, राजस्थान–341001

विशेषाधिकारी,
निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/7/2023/SDR Dated: 12th October, 2023

To,

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories

Sub: Prevention of Defacement of Property and Other Campaign Related Items- regarding

Ref:

1. No. 3/7/1994/J.S.-II dated 05th January, 1994
2. No. 3/7/2008/JS-II dated 7th October, 2008
3. No. 3/7/2008/JS-II/SDR dated 10th November, 2008
4. No.3/7/2014/SDR dated 11th March, 2014
5. No. 3/7/2014/SDR dated 26th September, 2014, and
6. No. 437/6/INST/2015-CCS dated 29th December, 2015

Madam/Sir,

I am directed to state that Clause (6) of Part I of the Model Code of Conduct for the guidance of Political Parties and candidates provides that no political party or candidate shall permit their followers to make use of any individual's land, building, compound wall etc., without his/her permission for erecting flag-staffs, suspending banners, pasting notices, writing slogans etc. However, it is observed that, at the time of elections, political parties indulge in defacement of public as well as private buildings, by sticking posters and wall writings and sometimes without permission of owners of the buildings. After elections are over, the cost of removing the posters and wall writings are borne out of the public exchequer in case of a public building and by the individual owners themselves in case of private buildings. In either case, it is the general public at large which has to bear the cost for no fault of theirs'.

2. Some States have local laws and passed legislations for property defacements under which the authorities are empowered to prevent such defacement and bring to book the defaulters. The Election Commission has also recommended the enactment of such provisions in all States/UTs.

3. The Commission had also issued instructions to ensure strict compliance with the provisions of the local laws relating to prevention of defacement of property and to prosecute and proceed against those who indulged in the violation of extant laws. The instructions, inter-alia, provided that the party/association/body/ candidate or any other person who had written or painted or pasted any slogans, symbols or posters on any public or private building without

written permission of the owner of the building should be required to get the defaced walls and buildings whitewashed or painted at its/his cost so as to restore them to the original position.

4. However, it was noted that despite several States having enacted State laws, there was no uniformity throughout the county and therefore, a need was felt for having a comprehensive guidelines on defacement of property for guidance of political parties, law enforcing authorities and the Election Commission's Observers deployed during elections. Accordingly, the Election Commission issued fresh detailed guidelines in supersession of all earlier instructions on 7th October, 2008 and later additional instructions were also issued from time to time to supplement the instructions.

5. Now, in supersession of all the existing instructions, the following consolidated instructions are being issued for information and compliance of the electoral authorities:-

(i) Defacement of Public Places

a) No wall writing, pasting of posters/papers or defacement in any other form, or erecting/displaying of cutouts, hoardings, banners, flags etc. shall be permitted on any Government premises (including civil structures). A Government premise would include any government office and the campus wherein the office building is situated.

b) If the local law expressly permits or provides for writing of slogans, displaying posters, etc., or erecting cut-outs, hoardings, banners, political advertisements, etc., in any public place, (as against a government premises) on payment or otherwise, this may be followed strictly in accordance with the relevant provisions of the law and subject to Court orders, if any, on this subject. It should be ensured that any such place is not dominated/monopolized by any particular party(ies) or candidate(s). All parties and candidates should be provided equal opportunity in this regard.

c) If there is a specifically earmarked place provided for displaying advertisements in a public place, e.g. bill boards, hoardings etc. and if such space is already let out to any agency for further allocation to individual clients, the District Election Officer through municipal authority concerned, if any, should ensure that all political parties and candidates get equitable opportunity to have access to such advertisement space for election related advertisements during the election period.

(ii) Defacement of PSU's Building and Premises:

a) Buildings and premises of PSUs shall be treated at par with Govt. premises for the purpose of displaying political ads during election period. The Commission has directed that no political advertisements shall be displayed/pasted at the buildings/civil structures or any other structure owned by Public Sector Undertakings (PSUs) or in their premises during the period Model Code of Conduct is in force.

b) In case there is no specific provision in the by-laws of PSUs or in their agreements with the advertisement agencies to whom they let out space for advertisement for prohibiting display of political advertisement, PSUs may be instructed to add a para in their commercial agreements with commercial agencies/companies while providing space on lease to the advertisement agency for placing commercial advertisements that *"No political advertisement shall be displayed/pasted at the space provided on lease for commercial advertisement like airports, railway stations, Inter State/Local Bus Stands, Govt transportation post offices, Government hospitals/dispensaries etc. (except on main highways, main roads etc.) during the period of Model Code of Conduct. If there is any political advertisement in the provided space, the same shall be removed immediately on enforcement of the Model Code of Conduct."*

(iii) Defacement of Government Halls/Auditoriums and Other Public Properties

a) If local laws/guidelines do not preclude political meetings at Halls/Auditoriums/Meeting venues owned/controlled by the Government/local authorities/PSUs/Cooperatives, there is no objection to do it. However, it should be ensured that allocation is done on equitable basis and banners, buntings, flags, cut-outs, displayed at the premises during meeting no defacement shall be permitted after conclusion of the meeting.

b) Educational institutions including their grounds {whether Govt. aided, private Or Govt.} shall not be used for political campaigns and rallies.

(iv) **Defacement of Private Places**

a) In the State where there is no local laws on the subject, temporary and easily removable advertisement materials, such as flags and banners may be put up in private premises with the express permission of the occupant. Such banner or flag should not create any nuisance to others. Photo-copy of the permission in writing obtained in this connection should be submitted to the Returning Officer within 3 days of putting up the flags and banners. The permission should be an act of free will and not extracted by any pressure or threat.

b) Where the local laws expressly permits wall writings and pasting of posters, putting up hoardings, banners, etc. on private premises with the owner's permission, the contesting candidates or the political parties concerned shall obtain prior written permission from the owner of the property and submit photocopy of the same within 3 days to the Returning Officer or an officer designated by him for the purpose, along with a statement giving the particulars in the prescribed format. The statement in such cases and in the cases mentioned in sub-para (a) above should clearly mention the name and address of the owner of the property from whom such permission has been obtained, and expenditure incurred or likely to be incurred for the purpose.

c) In those States where the State/local defacement law specifically prohibits display of flags, banners, hoardings etc., the provisions in the law will strictly apply and such material shall not be displayed on private property or property in public view.

d) If the local law does not expressly permit wall writing, pasting of posters, and similar other permanent/semi-permanent defacement which is not easily removable, the same shall not be resorted to under any circumstances, even on the pretext of having obtained the consent of the owner of the property. This will also apply in the States/UTs where there is no local law on the subject of prevention of defacement of property.

e) If the state/local law does not so specifically prohibit display of flag or hoarding or banner, etc. on private property, then such material (flag, banner, hoarding) can be allowed to be displayed on private property, on

own volition of the owner/occupier of the property, subject, however to any court decision/direction to the contrary. In the case of display on others' property, prior permission should be obtained from the owner/occupier concerned.

(v) **Defacement of Vehicles**

a) In private vehicles, subject to the provisions of the Motor Vehicles Act, Rules framed there under and subject to court orders in force, if any, flags and stickers may be put on the vehicles by the owner of the vehicle on his own volition, in such a manner that they do not cause any inconvenience or distraction to other road users. If such display of flags and stickers aims to solicit vote for any particular candidate, then the provisions of Section 171H (Illegal payments in connection with an election) of the IPC would be attracted.

b) On commercial vehicles, display of any flag, sticker etc. shall not be permitted, unless such vehicle is a vehicle validly used for election campaign after obtaining the requisite permit from the District Election Officer/Retuning Officer and the display thereof in original on the wind screen.

c) External modification of vehicles including fitting of Loudspeaker thereon, would be subject to the provisions of the Motor Vehicles Act/Rules and any other Local Act/Rules. Vehicles with modifications and special campaign vehicles like Video Rath etc. can be used only after obtaining the requisite permission from the competent authorities under the Motor Vehicles Act.

d) On buses of State Road Transport Corporations and Municipal Corporations
As it would not be practically possible to ensure equitable sharing of space for the purpose of advertisements on such government owned buses / vehicles, both in terms of the quantity as well as for particular bus routes, the Commission has directed that the State Road Transport Corporation buses and buses owned by Municipal Corporations etc. and other govt. owned vehicles shall not be used for display of political advertisements during the period when the Model Code of Conduct is in force.

(vi) **Election Advertisements by Political Parties/Candidates/Private Persons**

a) If any political party/association/candidate/person indulges in defacement of any property in violation of the local law, if any, or the above instructions, the Returning Officer/District Election Officer shall issue notice to the offender for removing the defacement forthwith. If the political party/association/candidate/person does not respond promptly, the district authorities may take action to remove the defacement, and the expenses incurred in the process shall be recovered from the political party/association/candidate/person responsible for the defacement. Further the amount also shall be added to the election expenditure of the candidate concerned and action should also be initiated to prosecute the offender under the provisions of the relevant law (under the law related to prevention of defacement, if any or under the provisions of the general law for causing willful damage to the property of others).

b) Subject to any restrictions under any local law or any court orders in force, the political parties, candidates, their agents, workers and supporters may put up banners, buntings, flags, cut-outs, on their own property, provided they do so on their own volition voluntarily and without any pressure from any party, organization or person, and provided further that these do not cause any inconvenience in any manner to anyone else.

c) Nothing inflammatory or likely to incite disaffection amongst communities shall be permissible in such writings/display.

d) If such display of banners, flags etc. aims to solicit vote for any particular candidate, then the provisions of Section 171H of the IPC would be attracted and would have to be followed. Section 171H of the IPC stipulates that whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorizes expenses on account of the holding of any public meeting or upon any advertisement, circular or publication, or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, shall be published with fine which may extend to five hundred rupees. Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten rupees without authority obtains within ten days from the date on which such expenses

were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.

e) The expenditure incurred on this mode of specific campaign of candidate(s) shall be added to the election expenditure made by the concerned candidate. Expenditure incurred on exclusive campaign for a party without indicating name of any candidate shall not be added to the candidate's expenditure account. The contesting candidate shall furnish such information, village/locality/town-wise, to the Returning Officer, or the authorized officer within 3 days of obtaining the requisite permission from the concerned for easy checking by the Returning Officer or the Election Observer or any officer connected with the conduct of elections.

f) In context with defacement of property by sticking of posters etc., attention is also invited to the provisions of section 127A of the Representation of the People Act, 1951 which, *interalia,* provides that no person shall print or publish, or cause to be printed or published, any election pamphlet or poster which does not bear on its face the names and addresses of the printer and the publisher thereof. The Commission has issued separate instructions on restriction on the printing on pamphlets, posters etc. However, it is reiterated that if any officer, who is, responsible for the enforcement of the provisions of the above law and the directions of the Commission, is found to have failed in the due diligence of his duties in this regard, he shall be liable to severe disciplinary action apart from any penal action that may be called for against him for breach of his official duty.

(vii) Timeline for Removal of Unauthorized Defacement

The Election Commission has fixed the following timelines for removal of unauthorized display of electioneering material:-

a) Defacement of Government property- For this purpose, a Government premise would include any Government office and the campus wherein the office building, compound and other establishment are situated. All wall-writings, posters/papers or defacement in any other form, including cutout/hoardings, banners, flags etc, on Government property shall be removed within 24 hours from the announcement of elections by the Election Commission.

b) <u>Defacement of public property and misuse of public space</u>- All unauthorized political advertisements, in the form of wall writings/ posters/papers or defacement in any other form, cutouts/hoardings, banners/flags etc. at public property and in public space like railway stations, bus stands, airports, railway bridges, roadways, government buses, electric/telephone poles, municipal/local bodies' buildings etc., shall be removed within <u>48 hours</u> from the announcement of elections.

c) <u>Defacement of private property</u>- Subject to any local law and Court's direction, all unauthorized political advertisements displayed at a private property, shall be removed within <u>72 hours</u> from the announcement of elections by the Election Commission.

d) Subject to the local laws and Court's directions any defacement to the government, public or private property subsequent to the announcement of elections shall be dealt with as per the standard protocol provided in the guidelines of redressal of complaints received at C-Vigil. The cases of defacement, other than received at C-Vigil, shall also be redressed promptly, as soon as complaints are received.

6. Above instructions shall be brought to the notice of the District Election Officers, Returning Officers and all other election related authorities and all registered political parties based in the State, including State units of recognized National and State parties, and also the contesting candidates, for information and compliance. Further, for implementation of guidelines as envisaged in Para 5(ii) Defacement of PSU's Buildings and Premises', the PSUs located in the concerned States should also be advised accordingly.

Yours faithfully,

(S.B. JOSHI)
PRINCIPAL SECRETARY

STANDARD DISTRIBUTION